**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2970**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**जम्मू और कश्मीर में अर्धसैनिक बलों पर हमले**

**2970. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकी संगठनों द्वारा अर्धर्सैनिक बलों पर हमलों की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) प्रत्येक घटना में शहीद हुए, बुरी तरह जख्मी हुए जवानों की संख्या तथा मारे गए आतंकवादियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;**

**(ग) सुंजवान सेना शिविर और करण सागर, श्रीनगर में हाल में हुए आतंकी हमलों का ब्यौरा क्या है; और**

**(घ) आतंकवादियों द्वारा किए गए ऐसे हमलों को नाकाम करने तथा जवानों एवं नागरिकों की संपत्तियों की समान्तर क्षति को कम करने के लिए बरती गई सावधानियों का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

1. **और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं, सुरक्षा बल कार्मिकों की मौत, नागरिकों की मौत और मारे गए आतंकवादियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं: -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम संख्या** | **घटनाएं** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018 (11 मार्च तक)** |
| **1** | **आतंकवादियों हिंसा की घटनाओं की संख्या** | **208** | **322** | **342** | **64** |
| **2** | **मारे गए नागरिक** | **17** | **15** | **40** | **2** |
| **3** | **मारे गए आतंकवादी** | **108** | **150** | **213** | **20** |
| **4** | **मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक** | **39** | **82** | **80** | **15** |

**-2-**

**रा.स.अता.प्र.सं.2970**

**(ग) सुंजवान सेना शिविर, जम्मू और सीआरपीएफ शिविर, करन नगर, श्रीनगर में आतंकवादी हमलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं: -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **मरे गए आतंकवादी** | **सिविलियन** | | **सुरक्षा बल** | |
|  |  | **मारे गए** | **घायल** | **शहीद** | **घायल** |
| **सुन्जवान सेना शिविर** | **3** | **1** | **6** | **6** | **6** |
| **सीआरपीएफ शिविर, करन नगर, श्रीनगर** | **2** | **-** | **-** | **1** | **-** |

**(घ) आतंकवादियों के प्रयासों को विफल करने और क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित पूर्व-सावधानी उपाय किए गए हैं:-**

**(i) सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य में सुरक्षा की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करती है और समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए, संवर्धित मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना ग्रिड के उपयोग के साथ परिचालन ग्रिड को मजबूत करने सहित कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने भी युवाओं को मुख्यधारा में लाने संबंधी नीतियों को निरंतर प्रोत्साहित किया है, जिसमें उन्हें आतंकवाद से दूर रखने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है।**

**(ii) गृह मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षाओं के अलावा, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एकीकृत कमान की बैठक में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।**

**(iii) ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए सभी शिविरों की सुरक्षा ऑडिट लगातार जारी की जाती है और उभरते खतरों और आसूचना जानकारी के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।**

**(iv) सुरक्षा बल प्रतिष्ठानों की परिधि/चाहार-दीवार को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।**

**(v) नागरिकों और संपत्ति को होने वाली कोलेटरल क्षति को न्यूनतम करने के लिए परिचालन इकाइयों को हर एहतियाती उपाय करने के प्रति सुविज्ञ बनाया गया है ।**

\*\*\*\*\*